प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 18 जुलाई,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या:192/2022/635/35-4-2022/001-35-4099/323/2021, दिनांक 22 जून, 2022 के द्वारा जनपद वाराणसी में सड़क निर्माण से सम्बन्धित 08 कार्यों की लागत रू. 238.15 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि रू. 120.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 118.15 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश में कार्यों के सम्मुख इंगित लागत फॉण्ट की त्रुटिवश त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी है। उक्त शासनादेश में कार्यों की लागत को निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

(लाख रू. में)

	कार्य	**अनुमोदित लागत**
1	माहेश्वरी नगर कॉलोनी में कच्चे मार्ग पर इंटरलाकिंग एवं के.सी.ड्रेन का कार्य।	31.59
2	बुद्ध सिटी फेज-1 में इंटरलाकिंग एवं के.सी.ड्रेन का कार्य।	17.23
3	शिव शक्तिपुरम कॉलोनी में इंटरलाकिंग एवं के.सी.ड्रेन का कार्य।	42.78
4	महेशपुर शिवपुर में महेश नगर कॉलोनी में इंटरलाकिंग एवं के.सी.ड्रेन का कार्य।	31.64
5	भर्ली में सती माता मंदिर से प्रभाकर पाण्डेय के मकान तक इंटरलाकिंग एवं के.सी.ड्रेन का कार्य।	36.12
6	शारदा बिहार कॉलोनी नवलपुर बसही में पैंटिंग तक सड़क निर्माण	30.72
7	देवकी नगर कॉलोनी के अवशेष कच्चे मार्ग पर इंटरलाकिंग	21.35
8	सिकरौल वार्ड अंतर्गत लश्कर में इंटरलाकिंग एवं सीवर का कार्य।	26.72
	योग:	**238.15**

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 जून,2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:212/2022/751/35-4-2022/001-35-4099/323/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी,वाराणसी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,वाराणसी।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,वाराणसी।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, वाराणसी।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।